रजिस्टर्ड नं० पी०/एस०एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 9 जून, 1988/19 ज्येष्ठ, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 19 दिसम्बर, 1987

संख्या 1-2/83-एस०टी०वी०-भाग 2.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में विभागाध्यक्ष फार्मेसी के पद की बाबत, संलग्न उपाबन्ध "अ" के अनुसार निम्नलिखित भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में विभागाध्यक्ष फार्मेसी वर्ग-I पद राजपत्रित के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1987 है।

(ii) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

अत्तर सिंह,
वित्तायुक्त एवं सचिव।

105-राजपत्र/88-9-6-88—1,339. (1009) मूल्य: 20 पैसे।

उपाबन्ध "अ"

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में विभागाध्यक्ष फार्मेसी के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम	विभागाध्यक्ष (फार्मेसी)
2. पदों की संख्या	दो
3. वर्गीकरण	वर्ग-I (राजपत्रित)
4. वेतनमान	रुपये 1400—2100 और 100 रुपये विशेष वेतन
5. चयन पद या अचयन पद	चयन
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा।	45 वर्ष या उससे कम :

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा, तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले ही सरकार के सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिकव्य हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में उतना ही शिथिलीकरण किया जा सकेगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह भी कि पब्लिक सैक्टर/निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर/निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर/निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर/निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐस कर्मचारी-वृन्द को नहीं दी जाएगी जोकि पब्लिक सैक्टर/निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा बाद में नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर/निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे पब्लिक सैक्टर/निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थ ।

टिप्पण.—1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना आयोग द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत अन्तिम तारीख से की जाएगी ।

टिप्पण.—2. अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, सीधी भर्ती क लिए आयु सीमा और अनुभव, आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताए ।	अनिवार्य: सरकारी अर्ध-सरकारी तथा विख्यात प्राईवेट संगठन में 5 वर्ष क अध्यापन/व्यावसायिक अनुभव सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम द्वितीय श्रेणी में फार्मेसी में कला निष्णात की उपाधि या इसके समतुल्य। वांछनीय अर्हतायें : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विलक्षण अवस्थाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से, अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10. भर्ती की पद्धति.—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।
11. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा ।	फार्मेसी प्राध्यापकों में से, जिनका फार्मेसी में प्रध्यापक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव हो, प्रोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पणी.—1. प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व संभरण पद में 31-12-1983 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो/प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी :— (क) उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति संभरण पद में अपने कुल सेवाकाल के आधार पर/जिसके अन्तर्गत 31-12-1983 तक की गई तदर्थ सेवा भी है के आधार पर उक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां संबन्धित प्रवर्ग या संवर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार के लिए पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय उन्हें कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखा जाएगा : परन्तु उन सभी पदधारियों को, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा कम से कम 3 वर्ष की न्यूनतम अर्हित सेवा या ऐसी सेवा जो पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित की गई हो, इनमें से जो भी कम हो, होनी चाहिए :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा।

(ख) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31-12-1983 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी। परन्तु स्थायीकरण के परिणामस्वरूप तदर्थ सेवा को हिसाब में लेकर पारस्परिक ज्येष्ठता अपरिवर्तित रहेगी।

(ग) 31-12-1983 के पश्चात् की गई तदर्थ सेवा, प्रोन्नति/स्थायीकरण के प्रयोजन के लिए गणना में नहीं ली जाएगी।

टिप्पणी.—2. जब कभी नियम 2 के अधीन पदों में बढ़ोत्तरी या कमी होती है तो नियम 10 और 11 के उपबन्ध, सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श से, पुनरीक्षित किये जाएंगे।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना। — जैसी कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। — जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है।

14. सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अपेक्षा — किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का निम्नलिखित होना आवश्यक है :—

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के आशय से आया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, पूर्वी अफ्रीका के देशों या कीनिया, यूगांडा, यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पहले तन्जानिका और जंजीबार) जांबिया, मालवा, जेयर और इथोपिया से भारत में स्थायी निवास के आशय से प्रवास किया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

ऐसे अभ्यर्थी को, जिनके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षात्कार में

प्रवेश किया जा सकेगा, किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का अपेक्षित पात्रता प्रमाणपत्र जारी किये जाने के पश्चात् ही दिया जायेगा ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन

सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम यथास्थिति, आयोग, अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

16. आरक्षण

उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा

1. सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित, विभागीय परीक्षा नियम, 1976 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी अन्यथा निम्नलिखित के लिए पात्र नहीं होगा :

(i) आगामी देय दक्षता रोध पार करने के लिए

(ii) परिवीक्षा की अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् भी स्थायीकरण के लिए, और

(iii) अगले उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए :

परन्तु उस अधिकारी से जिसने इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व किन्हीं नियमों के अधीन पूर्णतः या अंशतः विभागीय परीक्षा पास की है, यथास्थिति पूर्णतः या अंशतः परीक्षा पास करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि ऐसे अधिकारी के लिए जिसके लिए उन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व को विभागीय परीक्षा विहित नहीं की गई थी और जिस 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु में प्राप्त कर ली है, उससे इन नियमों के अधीन विहित विभागीय परीक्षा पास करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और भी कि ऐसे अधिकारी से जिसके लिए इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व को विभागीय परीक्षा विहित नहीं की गई थी और जिस 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है उससे 50 वर्ष की आयु के पश्चात् निम्नलिखित प्रयोजन के लिए विभागीय परीक्षा पास करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :

(i) अगामी देय दक्षता रोध पार करने के लिए, और

(ii) परिवीक्षा की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् स्थायीकरण के लिए ।

2. किसी अधिकारी से अपनी प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में उच्चतर पद पर प्रोन्नति पर विभागीय परीक्षा पास करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी यदि उसने निम्नतर राजपत्रित पद पर ऐसी परीक्षा पहले ही पास कर ली है ।

3. सरकार, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से असाधारण परिस्थितियों में और कारणों को अभिलिखित करके, विभागीय परीक्षा नियमों के अनुसार किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को विभागीय परीक्षा से पूर्णत: या भागत: छूट दे सकेगी, किन्तु यह तब जब कि ऐसे अधिकारी पर उसकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख से पूर्व किसी अन्य उच्चतर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना सम्भाव्य नहीं हो ।

18. शिथिल करने की शक्ति

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को अभिलिखत करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

[*Authorised English text of Himachal Pradesh Government notification No.* 1-2/83-*STV. II, dated* 19-12-87 *as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India*].

TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 19*th December,* 1987

No. 1-2/83-STV.II.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules in respect of the post of Head of Department in Pharmacy in the Department of Technical Education, Vocational and Industrial Training, Himachal Pradesh as per Annexure attached, namely:—

Short title and commencement.—(*i*) These rules may be called the Himachal Pradesh Technical Education, Vocational and Industrial Training Department Recruitment and Promotion to the post of Head of Department in Pharmacy (Class-I) Rules, 1987.

(*ii*) They shall come into force with immediate effect.

ATTAR SINGH,
Financial Commissioner-cum-*Secretary.*

ANNEXURE I

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF HEAD OF DEPARTMENTS IN PHARMACY (CLASS-I) IN THE DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL AND INDUSTRIAL TRAINING, HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT

1.	Name of the post	Head of Department in Pharmacy.
2.	Number of posts	Two.
3.	Classification	Class-I (Gazetted).
4.	Scale of pay	Rs. 1400—2100 plus Rs. 100/- as special pay per month.
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection.
6.	Age for direct recruitment	45 years and below:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis :

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxtion in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ other categroies of persons to the extent permissible under the general or special orders of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the public sector corporations and autonomous bodies who happened to be Government servants before absorption in public sector corporation/autonomous bodies at the time of initial constitution of such corporation/ autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector corporations/autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/autonomous bodies and are/ were finally absorbed in the service of such corporation/autonomous bodies after initial constitution of the public sector corporations/autonomous bodies.

Note.—1. Age limit for direct recruitment will be reckoned from the last date fixed for receipt of application by the Commission.

	Note.—2. Age and experience in the case of direct recruitment are relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.	*Essential :* At least Second Class Master degree in Pharmacy or equivalent from a recognised University with 5 years teaching/professional experience in Government/Semi-Government or well reputed private organisation. *Desirable qualifications:* Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	Age : No Educational Qualifications : Yes.
9. Period of probation, if any.	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	By promotion failing which by direct recruitment.
11. In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/tranfser is to be made.	By promotion from amongst Lecturer in Pharmacy having 5 years experience as Lecturer failing which by direct recruitment. *Note.*—1. In all cases of promotion *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-12-83, if any prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition:— (*a*) That in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including *ad hoc* service rendered upto 31-12-83) in the feeder post, in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective

	category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
	Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less :
	Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the recruitments of the preceding proviso, the person (s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
	(*b*) Similarly, in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered in the post upto 31-12-83 if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service:
	Provided that the *inter se* seniority as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service shall remain unchanged.
	(*c*) *Ad hoc* service rendered after 31-12-1983 shall not be taken into account for confirmation/ promotion purpose.
	Note.—2. Provisions of Rules 10 and 11 are to be revised by the Government in consultation with the Commission as and when the number of posts under Rule 2 are increased or decreased.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the H.P. P.S.C. is to be consulted in making recruitment.	As required under the law.
14. Essential requirement for a direct recruit.	A candidate for appointment to any service or post must be:—
	(*a*) a citizen of India, or
	(*b*) a subject of Nepal, or
	(*c*) a subject of Bhutan, or
	(*d*) A Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India,

(*e*) a person of Indian origian who has migrated from Pakistan, Burma, Siri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (Formerly Taganyika and Zanzibar), Zambia, Malwa, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to categories (*b*), (*c*),(*d*) and (*e*) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the bais of *viva-voce* test and if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be so consider necessary or expedient by a written test or a practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/ other recruiting authority as the case may be.

16. Reservation

The appointment to this service shall be subject to orders regarding reservation in the services for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination

1. Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1976 as amended from time to time, failing which he shall not be eligible to:—

(*i*) Cross the efficiency bar next due;
(*ii*) Confirmation in the service even after completion of probationary period; and
(*iii*) Promotion to the next higher post:

Provided that an officer who has qualified the departmental examination in whole or in part prescribed under any rules before the notification of these rules, shall not be required to qualify the whole or in part, of the examination as the case may be:

Provided further that an officer for whom no departmental examination was prescribed prior to the notification of these rules and who has attained the age of 45 years on the 1st of March, 1976 shall not be required to qualify the departmental examination prescribed under these rules:

Provided further that an officer for whom no departmental examination was prescribed prior to the notification of these rules and who had attained the age of 45 years on 1-3-1976, shall not be required to qualify the departmental examination prescribed under these rules after attaining the age of 50 years for purposes of (*i*) the efficiency bar next due, and (*ii*) confirmation in the service after completion of probationary period.

2. An officer on promotion to higher post in his direct line of promotion shall not be required to pass the aforesaid examination if he has already passed the same in the lower gazetted post.

3. The Government may, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, grant in exceptional circumstances and for reasons to be reduced to writing, exemption in accordance with the Departmental Examination Rules to any class or category of persons from the departmental examinations in whole or in part provided that such officer is not likely to be considered for any other higher promotion before the date of hissuperannuation.

18. Power to relax

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by ordered for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relex any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or post.

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 1 जून, 1988

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0 (5) 284/76.—क्योंकि जिला पंचायत अधिकारी ने खण्ड-विकास अधिकारी पंचरुखी के पत्र संख्या 648 दिनांक 1-2-88 के आधार पर ये पाया है कि सर्वश्री जगदम्बा प्रसाद, उप-प्रधान,

कमलेश कुमार, पंच (वार्ड संख्या 2) तथा श्रीमती सुभद्रा देवी, महिला पंच, ग्राम पंचायत आवेरी को मासिक बैठकों में क्रमशः 10/87, 10/87 तथा 1/87 से अनुपस्थित रह रहे हैं। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी पंचरूखी ने 18-1-88 को रजिस्टर्ड नोटिस भी उन्हें दिया और उस पर प्राप्त उनके स्पष्टीकरण को तथ्यों के विपरीत पाया।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत उपरोक्त कृत्य के दृष्टिगत सर्वश्री जगदम्बा प्रसाद, उप-प्रधान, कमलेश कुमार, पंच, वार्ड संख्या 2 तथा श्रीमती सुभद्रा देवी, महिला पंच, ग्राम पंचायत आवेरी को कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाए। इनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक माह के भीतर-भीतर जिलाधीश कांगड़ा के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

शिमला-2, 6 जून, 1988

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0 (5) 253/77.—क्योंकि ग्राम पंचायत भरेडी के 14-3-88 को हुए निरीक्षण के फलस्वरूप श्री फकीर चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत भरेडी द्वारा 11,568.75 रुपये 23-7-86 से लगातार अपने पास रखना, 23-4-86 से रसीद बुक प्रपत्र संख्या-6 (रसीद संख्या-0601 से 0700) पर एकत्रित दान की राशि का हिसाब ग्राम पंचायत को न देना तथा 4-8-83 को प्राथमिक पाठशाला भरेडी तथा कंटीन के कार्य हेतु मिले अन्दान के 9,485.40 रुपये का कोई हिसाब-किताब ग्राम पंचायत भरेडी को उपलब्ध न करना कुछ ऐसे तथ्य हैं जो उनकी कार्यकुशलता के असन्तोषजनक होने का प्रतीक है;

और क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही करने से पहले उपरोक्त तथ्यों की विस्तृत जांच का कराया जाना आवश्यक है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत उप-सम्भागीय अधिकारी (रामपुर) को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश शिमला के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।